27/8/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरपक्ष उप.।
अधिवक्ता उत्तरपक्ष की पत्रावली पर
बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने
बहस करते हुए निवेदन किया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन
निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति
में पारित किया गया। अधीनस्थ

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैसे मेरिट में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मामले मान में पारित किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण का मकसद प्रकरण को लंबा करने का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष कृ.प.उ.	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। जबकि कैम्पकोर्ट में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व प्रकरण संख्या 55/2015 बजनदान पोकरदान बनाम भगसिंह में पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 10/06/2016 को अपास्त किया जाकर मामला	

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	अधीनस्थ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष दिनांक 04/10/2021 को उपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर